

Office No. 571810/19142.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029  
शैक्षिक अनुभाग (पीजी)

अंतिम अनुस्मारक

सं.एफ.1-1/2004-शैक्षिक-I

दिनांक: 17.05.2019

ज्ञापन


विषय: विभिन्न विभाग/केंद्रों में वरिष्ठ रेजीडेंटों के रोटेशन संबंधी।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4.4.2019 के समसंख्यक का.जा. के अनुक्रम में अन्य विषयों के साथ-साथ यह बताया जाता है कि यह अनिवार्य है कि सभी केंद्र/विभाग वरिष्ठ रेजीडेंटों की रोटेशन नीति को बनाए एवं वरिष्ठ रेजीडेंट/वरिष्ठ डेमोन्स्ट्रेटर की रोटेशन नीति को सूचना के लिए शैक्षिक अनुभाग में प्रस्तुत करें।

इस संबंध में कार्यालय ज्ञापनों के जारी होने के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। 23 विभागों ने 2 पत्रों के भेजने के पश्चात भी रोटेशन नीति को प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः सभी केंद्र प्रमुख/विभागाध्यक्षों को एतद्वारा पुनः अनुरोध किया जाता है कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निदेशों का पालन करें एवं इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 5 दिनों के भीतर वरिष्ठ रेजीडेंट की रोटेशन नीति को जमा करें। इसे अंतिम अवसर के रूप में माना जाए अन्यथा शैक्षिक अनुभाग संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) के साथ हुई चर्चा के अनुसार नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।




(डॉ. संजीव लालवानी)


कुल-सचिव

वितरण:

1. सभी केंद्र-प्रमुख
2. सभी विभागाध्यक्ष
3. निदेशक (अ.भा.आ.सं., दिल्ली) के प्रधान निजी सचिव
4. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) के निजी सचिव
5. उप-निदेशक (प्रशा.) के निजी सचिव
6. कंप्यूटर सुविधा: इस ज्ञापन को अ.भा.आ.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

20 MAY 2019



  
21/5/19  
कृपया डॉ. संजीव लालवानी को सूचित किया जा रहा है।

No. F.1-1/2004-Acad-I

Dated: 17-05-2019

MEMORANDUM


**Subject: Rotation of SR. Residents in different Department/Centre's - Reg.**

In continuation of this office OM of even no. Dated 4-4-2019 on the subject noted above which inter-alia provide that it is mandatory it all the centre/ department to formulate rotation policy of Senior Residents and submit the rotation Policy of Senior Resident/Senior demonstrator to academic section for information.

It has been observed that despite of issuance of OMs., instructions are not being followed by the concerned department. 23 Departments have not submitted Rotation policy after 2 letters.

Therefore, all the chief of Centres/Head of the department are hereby once again requested to follow the instructions as decided by competent authority & Policy of SR. submit the rotation policy within 5 days of the issued of the OM. This shall be treated as find opportunity otherwise Academic Section will finalise policy as discussed with Dean (A)

This issues with the approval of the competent authority.

  
(Dr. Sanjeev Lalwani)  
Registrar

Distribution:

1. All Chief of Centres
2. All Head of the Departments
3. PPS to Director ( AIIMS, Delhi)
4. PS to Dean ( Acad.)
5. PS to Dy. Director (Admn.)
6. Computer Facility: with the request to upload this memo in AIIMS website